<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।</u>
उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या– 107/2026
अमित **बनाम** कुंवरपाल आदि

धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०
थाना–सकरौली, जिला एटा

<u>22.08.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर आवेदिका मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आयी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० पर सुना गया। पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु नियत है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०</u>

आवेदिका की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन० एस०एस० इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी अमित पुत्र राजेश निवासी कोसमा थाना जलेसर जिला एटा का रहने वाला है। प्राथी के मिलने वाले रविन्द्र पुत्र गयाप्रसाद निवासी नगला गडरिया थाना सकरौली जिला एटा ने कुंवरपाल पुत्र पुसेराम निवासी शाहनगर टिमरूआ थाना सकरौली जिला एटा से गाटा सं0 1400/0.101 है0 का बैनामा दिनांक 15.12.1997 में कराया। सोमप्रकाश, श्रीकृष्ण पुत्र बरफ सिंह व रविकान्त पुत्र सोमप्रकाश ने षडयन्त्र कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर उक्त जमीन का बैनामा पुनः कुंवरपाल से देवलाल पुत्र चतुरी सिंह निवासी शाहनगर टिमरूआ को दिनांक 14.08.2013 को कराया। उक्त लोगों द्वारा देवलाल से महाराज सिंह पुत्र सरमन निवासी शाहनगर टिमरूआ के 20.06.2022 को बैनामा करा दिया जिसमें श्रीकृष्ण स्वंय गवाह है। श्रीकृष्ण व उक्त लोगों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उक्त जमीन का फर्जी बैनामा श्रीकृष्ण ने अपने नाम दिनांक 25.11.2023 को बैनामा करा लिया और उक्त जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। दिनांक 25.06.2026 को प्रार्थी ने उक्त जमीन के कूटरचित फर्जीवाडे के बारे में पूछा तो उक्त लोग कहने लगे कि तेरे मिलने वाले रविन्द्र को तो यहाँ से भगा दिया यदि तू ज्यादा बोला तो तेरा व तेरी बॉडी का पता भी नहीं चलने देगें और प्रार्थी को मॉ बहन की गालियों देने लगे जब प्रार्थी ने गालियाँ देने से मना किया तो प्रार्थी को लात घूसों से मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गया लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी तब दिनांक 04.07.2026 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा को दिया परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नही हुई तब मजबूर होकर श्रीमान् जी के न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

आवेदिका की ओर से अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थना पत्र मय रजिस्ट्री, बैनामा की छायाप्रतियाँ एवं आधार कार्ड की छायाप्रति पत्रावली पर दाखिल की गई है।

आवेदिका के प्रार्थना पत्र पर थाने से आख्या तलब की गयी, जो पत्रावली पर संलग्न है, जिसमें संबंधित थाने ने अपनी आख्या में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि बैनामे के प्रकरण के कोई घटना स्थल थाना सकरौली से सम्बन्धित नहीं है। आवेदक को माँ बहन की गालियां देने व लात घूंसों से मारने पीटने एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना दिनांक 25.06.2026 की अपने प्रार्थना पत्र में अंकित की यी है, लेकिन घटना स्थल अंकित नहीं किया गया है कि घटना कहाँ घटित हुई है। आवेदक के साथ मां

बहन की गालियाँ देने व लात घूंसों से मारने पीटने एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना गांव नगला गडरिया में होना जाँच से प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं हो पा रहा है।

इस प्रकार थाने द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया है कि बैनामे के प्रकरण से संबंधित कोई घटना स्थल थाना सकरौली से सम्बन्धित नहीं है। अतः इस प्रकार न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से भिन्न थाने से संबंधित मामलों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना गुण दोष पर टिप्पणी किये दर्ज किये जाने योग्य नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त प्रकीर्ण वाद इस **न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने के कारण** दर्ज किये जाने योग्य नहीं है।

–<u>आदेश</u>–

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार से भिन्न थाने से संबंधित मामलों को दर्ज करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न होने के कारण **निरस्त** किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मोहित कुमार)
<u>दिनांक 22.08.2026</u> सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०
जलेसर, एटा।
(J.O. CODE- UP 4823)